गणपत → नानाराम मु. नं. – 94/2013

दिनांक	आज्ञा पत्र	
15-2-18	पत्रावली पर उपस्थित; पीठासीन अधिकारी पर हैं। अग्रिम पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 17-4-18 को पेश हो।	
17-4-18	पीठासीन अधिकारी पर हैं। अग्रिम पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 17-5-18 को पेश हो।	
17-5-18	बार-बार आवाज दिलाई गई। अपीलांट एवं अपीलांट के वकील कोई हाजिर नहीं आये। अतः अदम हाजरी एवं अदम पैरवी साबित होने से अपील खारिज की जाती है। फजावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर